रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 24, 1999/फाल्गुन 5, 1920
No. 105] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 24, 1999/PHALGUNA 5, 1920

IndiaCode

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 1999

का. आ. 132(अ).— केन्द्रीय सरकार, कोटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301, तारीख 27 फरवरी, 1971 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,

(1) मद संख्यांक (iii-क) और (iii-ख) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) मद (iii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(iv) भण्डारण और निरीक्षण निदेशक, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य मंत्रालय) पदेन;

(v) मुख्य सलाहकार, कारखाना, पदेन";

(3) मद संख्यांक (iv), (v), (vi), (viii) और (ix) को क्रमश: (vi), (vii), (viii), (ix) और (x) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा;

(4) मद संख्या (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(xi) पोत परिवहन महानिदेशक या उसकी अनुपस्थिति में पोत परिवहन उप महानिदेशक परिवहन और पोत परिवहन मंत्रालय, पदेन;";

(5) मद संख्यांक (x) और (xi) को क्रमश: (xii) और (xiii) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित मद संख्यांक (xiii) के पश्चात् निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(xiii) (क) पशुपालन आयुक्त, कृषि विभाग, पदेन;

(xiii) (ख) संयुक्त आयुक्त (मत्स्य), कृषि विभाग, पदेन;

(xiii) (ग) वन उप महानिरीक्षक (वन्य जीव), कृषि विभाग, पदेन;

(xiii) (छ) महानिदेशक, औद्योगिक सलाहकार (रसायन) तकनीकी विकास, पदेन";

(6) मद संख्यांक (xii) से (xxi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xiv) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		(अवधि जिसके लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है)
"(xiv)	श्री पी.एन. माजी, परियोजना अधिकारी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पैट्रो रसायन विभाग)"	(24-4-1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xv) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
(xv)	डा. (श्रीमती) एस.बी. लाल, अपर आचार्य, भेषज विज्ञान विभाग अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान	(24-4-1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xvi) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
(xvi)	प्रोफेसर जवाहर एस. वापना प्रोफेसर, तंत्र भेजष विज्ञान और निदेशक, मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान झिलमिल, नई दिल्ली।	(24-4-1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xvii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
(xvii)	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक, लोक स्वास्थ्य तमिलनाडु	(24-4-1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xviii) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
(xviii)	(क) कृषि निदेशक बिहार सरकार (ख) कृषि निदेशक महाराष्ट्र सरकार	(24-4-1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xix) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		
(xix)	(क) डा. शान्ति सरूप, सचिव, केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति वनस्पति संरक्षण निदेशालय, करन्तीन और भण्डारण, राष्ट्रीय राजमार्ग-4 फरीदाबाद	(इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
(xix)	(ख) निदेशक व्यवसाय स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान, अहमदाबाद	(24-4-1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
(xix)	(ग) डा. सी.आर. हाजरा कृषि आयुक्त कृषि एवं सहकारिता विभाग नई दिल्ली	(20-1-1998 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
(xix)	(घ) डा. एस. नागराजन, निदेशक, गेहूं अनुसंधान का निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् करनाल-132001	(इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xx) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य		

IndiaCode

(xx) डा. के.वी. राघवन, (24-4-1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)
निदेशक,
भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान,
उप्पल रोड, हैदराबाद

धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (xxi) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य

(xxi) डा. आर.आर. खार, (24-4-1997 से तीन वर्ष की अवधि के लिए)",
निदेशक,
पर्यावरण और वन मंत्रालय
भारत सरकार

[फा.सं. 19(4) 91-पी.पी.-II]

पी.डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना 27 फरवरी, 1971 के सा.का.नि. 301 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और बाद में उसमें निम्नलिखित के द्वारा संशोधन किए गए :—

(i) सा.का.नि. 1216 दिनांक 19 अगस्त, 1971
(ii) सा.का.नि. 478(अ) दिनांक 10 अगस्त, 1976
(iii) एस.ओ. 848(अ) दिनांक 25 अगस्त, 1989
(iv) एस.ओ. 528(अ) दिनांक 19 जुलाई, 1993
(v) एस.ओ. 849(अ) दिनांक 20 अक्तूबर, 1995
(vi) एस.ओ. 346(अ) दिनांक 24 अप्रैल, 1997
(vii) एस.ओ. 70(अ) दिनांक 21 जनवरी, 1998

IndiaCode

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 1999

S.O. 132 (E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby amends the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation number GSR 301, dated the 27th February, 1971, namely :—

In the said notification,—

(1) item numbers (iii-A) and (iii-B) and the entries relating thereto shall be omitted;

(2) after item (iii) and the entries relating thereto, the following items and entries shall be inserted, namely :—

"(iv) the Director of Storage and Inspection, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Food), ex-officio;

(v) The Chief Adviser of Factories, ex-officio";

(3) item numbers (iv), (v), (vi), (viii) and (ix) shall be re-numbered as item numbers (vi), (vii), (viii), (ix) and (x) respectively;

(4) for item number (vii) and the entries relating thereto the following item number and entries shall be substituted, namely :—

"(xi) the Director-General of Shipping or, in his absence, the Deputy-Director General of Shipping, Ministry of Transport and Shipping, ex-officio.";

(5) the item numbers (x) and (xi) shall be re-numbered as item numbers (xii) and (xiii) respectively and after item number (xiii) as so re-numbered, the following item numbers and the entries shall be inserted, namely :—

"(xiii) (a) the Animal Husbandry Commission, Department of Agriculture, ex-officio;

(xiii) (b) the Joint Commissioner (Fisheries), Department of Agriculture, ex-officio;

(xiii) (c) the Deputy Inspector General of Forests (Wild Life), Department of Agriculture, ex-officio;

(xiii) (d) the Industrial Adviser (Chemicals) Director General of Technical Development, ex-officio".

(6) for item numbers (xii) to (xxi) and the entries relating thereto, the following item numbers and entries shall be substituted, namely :—

Member nominated under clause (xiv) of sub-section (3) of section 4		(Period upto which nominated)
"(xiv)	Shri P. N. Maji, Project Officer, Ministry of Chemicals and Fertilisers (Department of Chemicals and Petro-Chemicals)"	(For a period of 3 years w.e.f. 24-4-1997)
Member nominated under clause (xv) of sub-section (3) of section 4		
(xv)	Dr. (Mrs.) S. B. Lal Additional Professor Department of Pharmacology All India Institutute of Medical Sciences.	(For a period of 3 years w.e.f. 24-4-1997)
Member nominated under clause (xvi) of sub-section (3) of section 4		
(xvi)	Professor Jowahar S. Bapna Professor, Neuropharmacology and Director Institute of Human Behaviour and Allied Sciences, Jhilmil, New Delhi	(For a period of 3 years w.e.f. 24-4-1997)
Member nominated under clause (xvii) of sub-section (3) of section 4		
(xvii)	Director of Health Services Incharge Public Health, Tamil Nadu.	(For a period of 3 years w.e.f. 24-4-1997)
Members nominated under clause (xviii) of sub-section (3) of section 4		
(xviii)	(a) Director of Agriculture Government of Bihar, (b) Director of Agriculture Government of Maharashtra.	(For a period of three years w.e.f. 24-4-1997)
Members nominated under clause (xix) of sub-section (3) of section 4		
(xix)	(a) Dr. Shanti Sarup Secretary Central Insecticides Board and Registration Committee Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, NH-IV, Faridabad.	(For a period of 3 years with effect from the date of publication of this notification)
(xix)	(b) Director National Institute of Occupational Health, Ahmedabad.	(For a period of 3 years with effect from 24-4-1997)
(xix)	(c) Dr. C.R. Hazra, Agriculture Commissioner, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.	(For a period of 3 years with effect from 20-1-1998)
(xix)	(d) Dr. S. Nagarajan, Director, Directorate of Wheat Research, Indian Council of Agricultural Research, Karnal-132001.	(For a period of 3 years w.e.f. the date of publication of this notification)

IndiaCode

Member nominated under clause (xx) of sub-section (3) of section 4

(xx) Dr. K.V. Raghavan
Director, Indian Institute of Chemicals Technology, Uppal Road, Hyderabad. (For a period of 3 years w.e.f 24-4-1997)

Member nominated under clause (xxi) of sub-section (3) of section 4

(xxi) Dr. R. R. Khan
Director
Ministry of Environment and Forests, Government of India. (For a period of 3 years w.e.f. 24-4-1997)".

[F. No 19/4/91–PP. I]

P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India number G.S.R. 301, dated 27th February, 1971 and subsequently amended vide nos.

(i) G. S. R. 1216 dated the 19th August, 1971.
(ii) G. S. R. 478(E) dated the 10th August, 1976.
(iii) S. O. 848(E) dated the 25th October, 1989.
(iv) S. O. 523(E) dated the 19th July 1993
(v) S. O. 849(E) dated the 20th October, 1995.
(vi) S. O. 348(E) dated the 24th April 1997
(vii) S. O. 79(E) dated the 20th January, 1993

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054